



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्षन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 9000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्षन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 9000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बदौसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-25/16 धारा 279/338/427 भादवि के अभियुक्त कमल किशोर पुत्र राजाराम निवासी जुरेटनपुर थाना कर्बी जनपद चित्रकूट को 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना अतर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-330/08 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त संतोष पुत्र बिलुवा निवासी दामूगंज थाना अतर्रा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना फतेहगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/22 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राजू पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी बघेलाबारी थाना फतेहगंज जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना अतर्रा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 77/20 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त अमर सिंह पुत्र स्वामीदीन निवासी लोधन का पुरवा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।